न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 20/25

1. प्रदीप कुमार पुत्र भीमसिंह
2. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र भीमसिंह
3. तनवे कुमार पुत्र बहादुरसिंह

सभी जाति जाटव निवासी ग्राम बरखेडा तहसील बयाना राजस्थान

4. सन्दीप पुत्र निनुआ
5. महेश पुत्र निनुआ
6. विनीता पुत्री निनुआ
7. काजल पुत्री निनुआ
8. नीलम पत्नि निनुआ

अकवाम कचेरा निवासी बरखेडा तहसील बयाना जिला – भरतपुर

9. सुमन पत्नि विजयसिंह जाति जाटव निवासी बरखेडा तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब–बयाना
2. वीरो पुत्र सोरनसिंह
3. परसुराम पुत्र सोरनसिंह
4. राजेश पुत्र सोरनसिंह
5. दीवानसिंह पुत्र सोरनसिंह
6. गीता पुत्री सोरनसिंह

अकवाम जाट निवासी ग्राम बरखेडा तहसील बयाना जिला– भरतपुर

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 112, 128, 131, 136, 141 (क) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक:– 23/4/26

निर्णय

उपस्थितिः– श्री वेदप्रकाश शर्मा एड0 प्रार्थीगण
श्री गयालाल शर्मा एड0 अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 404 रकवा 0.49 हैक्टे0 वाके ग्राम बरखेडा तहसील बयाना में स्थित है नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 साथ संलग्न है, उक्त आराजी खसरा नम्बर 404 रकवा 0.49 है0, पुराने खसरा नम्बर 202 मिन रकवा 3 बीघा वाके ग्राम बरखेडा तहसील बयाना से बनाया गया है जिसके कि प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है व उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रे है व कर रहे है व आज भी उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का मालिकाना बतौर खातेदार कब्जा काश्त है उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है ना ही कभी रहा है ना ही अब है, साविक खसरा नम्बर 202 वाके ग्राम बरखेडा मिन नम्बर है और सैटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 202 मिन का नक्शा ट्रैस पूरे नम्बर का एक ही नक्शा था लेकिन दौरान सैटिलमेंट खसरा नम्बर पुराने साविक 202 मिन रकवा 3 बीघा जिसके कि प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काबिज

आराजी है का नया नम्बर 404 रकवा 0.49 है0 बना दिया व इसी साविक नम्बर 202 मिन रकवा बीघा 17 विस्वा का नया नम्बर 405 रकवा 0.62 है0 बना दिया जिसके कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है का बना दिया लेकिन सैटिलमेंट विभाग की गलती से राजस्व नक्शा ट्रैस में खसरा नम्बर 404 की भूमि को गलत तरीके से नक्शा ट्रैस में खसरा नम्बर 405 के रूप में व 405 की भूमि को गलत तरीके से खिलाफ कानून व मौका के 404 के रूप में दर्ज कर दिया जो पूर्ण रूप से खिलाफ कानून व मौका के है व विधि विरूद्ध है जिसका कि करने का सैटिलमेंट विभाग को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा नम्बर 202 मिन रकवा 3 बीघा के हिसाब से आज भी उक्त आराजी की डौल मेंड मौके पर उसी प्रकार कायम है जो सैटिलमेंट से पूर्व थी व सैकडों साल से कायम थी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 चतुर चालाक किस्म के लठैत सरगना व पैसे वाले व्यक्ति है जिनकी कि नक्शा ट्रैस में हो रही अशुद्धि से बदयान्ती आ गई है और वह उक्त अशुद्धि की आड में प्रार्थीगण को वेदखल कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसकी बाबत् अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 ने दिनांक 13.05.2025 को खुले आम ऐलानियां धमकी दी है कि वे प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर देंगे व विवादित आराजी पर कब्जा कर लेगें। अप्रार्थीगण की उक्त धमकी से प्रार्थीगण को अपने हक, हकूको की रक्षा के लिए राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रैस में हो रहे अवैध व अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी के नक्शा ट्रैस में खसरा नम्बर 404 के स्थान पर हो रहे अशुद्ध इन्द्राज खसरा नम्बर 405 को हटाया जाकर उसके स्थान पर 404 व 404 के स्थान पर 405 शुद्ध किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थन्ना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया है कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बरा पुराना 202 मिन होना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है। पुराना नम्बर 202 में अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है और मौके पर काबिज रहकर अपने हिस्से के मुताबिक काश्त कर रहे है। उक्त पुराने आराजी खसरा नम्बर 405 रकवा 0.62 हैक्ट. पर काबिज रहकर अप्रार्थीगण काश्त कर रहे है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की अन्य मदों को अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पुराने आराजी खसरा नम्बर 202 मिन के सामलाती खातेदार रहे हैं व आराजी खसरा नम्बर 404 व 405 पुराने खसरा नम्बर 202 मिन से बने है। जिनका पुराना राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में एक ही आकृति का नक्शा रहा है। ऐसी सूरत में धारा 112, 128, 131, 141(क) लैण्ड रेवन्यु एक्ट के तहत प्रार्थीगण कोई दादर्शी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इनके लिए खातेदारी अधिकरों के लिए न्यायालय डिक्लेरेशन हेतु दादर्शी देने के लिए कानून बाध्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बयाना को प्रकरण में रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/25/3027 दिनांक 30.07.2025 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बरखेडा के साबिक खसरा नम्बर 202 मिन रकवा 3 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 404 रकवा 0.49 है0 वर्तमान जमाबंदी में प्रदीप कुमार पुत्र भीमसिंह बगै0 प्रार्थीगण के नाम व साविक खसरा नम्बर 202 मिन 3 बीघा 17 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 405 रकवा 0.62 है0 बनाया गया है जो अप्रार्थीगण वीरो पुत्र सौरनसिंह बगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है, खसरा नम्बर 404 रकवा 0.49 है0 व खसरा नम्बर 405 रकवा 0.62 है0 साविक खसरा नम्बर 202 से बनाये गये है जो सहवन से रिकार्ड व मौके के अनुसार नहीं बनाये गये, खसरा नम्बर 405 पर संदीप पुत्र निनुआ जाति कचेरा बगै0 का पूर्व से ही कब्जा काश्त है, एवं खसरा नम्बर 404 रकवा 0.49 है0 पर अप्रार्थीगण वीरो पुत्र सोरनसिंह बगै0 का कब्जा है, जो पूर्व से ही उक्त खसरा नम्बर 404 पर सरकण्डे काटते चले आ रहे है जो रिकार्ड व मौके से भिन्न है अर्थात कब्जा अनुसार रिकार्ड नहीं है इस प्रकार कब्जा काश्त अनुसार नक्शा में शुद्धि करवाना चाहते है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। एड0 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित मदों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

एड0 अप्रार्थीगण द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित मदों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिजं किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम बरखेडा, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग, नक्शा ट्रेस पुराना व नया, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/25/3027 दिनांक 30.07.2025 का गहनता से अवलोकन किया। निष्कर्ष आता है कि पूर्व में 404 व 405 खसरा नम्बर एक ही खसरा नम्बर 202 मिन से बने है। तत्समय सैटलमेंट द्वारा आराजी के 02 टुकडे कर 404 व 405 खसरा नम्बर बनाये गये। वादी द्वारा भूमि सैटलमेंट पश्चात क्रय की गई है अर्थात वादी सैटलमेंट के समय खातेदार नहीं था। वादी वर्तमान कब्जे के आधार पर खसरो की स्थिति में परिवर्तन चाहता है। यह क्लेरिकल मिस्टेक के दायरें में नहीं आता है। जहां कब्जें का प्रश्न है जिसे मात्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर Summary Trial के तहत Decide नहीं किया जाना चाहिए अपितु पूर्ण रूप से साक्ष्य लिये जाकर निर्णित किया जाना चाहिए। यद्यपि तहसीलदार रिपोर्ट वादी के पक्ष में है परन्तु वर्तमान कब्जे के साथ–साथ दौराने सैटलमेंट का कब्जा भी देखा जाना आवश्यक है। जिसे बिना समुचित साक्ष्य के निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.